

सादर अन्तर्गत भाग 88 आर.टी.एक्ट सहपवित भाग 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम जालिया जमावंदी सं 2012-75 के खाता सं 205 में जालिया खातेदारान/खादीगण के पिता/पति/हिसा/जाति/निवासी में महत इन्द्राज/शिफीकीय पुटी का अन्तर्गत भाग 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत भाग 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जाये।

शुद्ध खादी खाता सं	शुद्ध खादी अनुसार प्रविधि	वर्तमान जमावंदी खाता सं	वर्तमान इन्द्राज/पुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविधि)
1	2	3	4	5
	जमा संख्या 205 में आवरण किया गया।	205	जाति - चमार	मेघवाल

खादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. विजयलाल / नंदन जाति - मेघवाल / ना सिप्योई गुम्हा / श्रीगुलाल
2. जे.ए. जलिया / जाति मेघवाल / " / रविश्याम
3. रमेश / जलिया जाति - मेघवाल / " / रमेश
4. _____ / _____ / _____ / _____

हस्ताक्षर

रिपोर्ट पटवारी

खादी/प्रार्थी के खाद पत्र के अनुसार ग्राम जालिया के राजस्य रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी / शुद्ध जमावंदी एवं वर्तमान जमावंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उचित सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार खादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

31/08/25
हस्ताक्षर पटवारी
प.म.म.सिपुर

रिपोर्ट गूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्य रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


गूअभिलेख
गूअभिलेख निरीक्षक
हस्ताक्षर
14/08/25

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्र. 3/अ
क्रमांक. सजस्व/2025/559

दिनांक 28/05/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम खलीलनगर के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को सुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट साफ प्रस्तुत है।

[Handwritten Signature]
28/5/25

तहसीलदार/भायब तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला आलावाड राज0

क्रमांक. राजस्व न्यायालय/2025/252

दिनांक : 28/05/2025

वादी/प्राथी के ग्राम खलीलनगर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज का तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में प्राथी चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरानद करें।

[Handwritten Signature]
28/5/25

उपखण्ड अधिकारी
जिला आलावाड राज0
पिडावा, जिला आलावाड (राज0)

